

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 486]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 सितम्बर 2017—भाद्र 16, शक 1939

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2017

क्र. 14656-203-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 अगस्त, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

#### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २८ सन् २०१७

### मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) संशोधन अधिनियम २०१७

[ दिनांक २९ अगस्त, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक ७ सितम्बर, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) अधिनियम, १९७० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) संशोधन अधिनियम, २०१७ है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि ( विशेष उपबंध ) अधिनियम, १९७० ( क्रमांक २६ सन् १९७० ) धारा ३ का संशोधन. ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ), की धारा ३ में, अंक, अक्षर तथा शब्द " ३१ दिसम्बर, २०११ " के स्थान पर, अंक, अक्षर तथा शब्द " ३१ दिसम्बर, २०१४ " स्थापित किए जाएं.

३. मूल अधिनियम की धारा ५ में, अंक, अक्षर तथा शब्द " ३१ दिसम्बर, २०११ " के स्थान पर, अंक, धारा ५ का संशोधन. अक्षर तथा शब्द " ३१ दिसम्बर, २०१४ " स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2017

क्र. 14656-203-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2017 (क्रमांक 28 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 28 OF 2017

THE MADHYA PRADESH GRAMO ME KI DAKHALRAHIT BHOOMI  
(VISHESH UPABANDH) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2017.

[Received the assent of the Governor on the 29th August, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 7th September 2017].

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh), Adhinyam, 1970.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

- Short title.** 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Sanshodhan Adhinyam, 2017.
- Amendment of Section 3.** 2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Adhinyam, 1970 (No. 26 of 1970) (hereinafter referred to as the principal Act), for the figures, letters and words "31st day of December, 2011", the figures, letters and words "31st day of December, 2014", shall be substituted.
- Amendment of Section 5.** 3. In Section 5 of the principal Act, for the figures, letters and words "31st day of December, 2011", the figures, letters and words "31st day of December, 2014", shall be substituted.